



कार्यालय आदेश संख्या.../168.../2017

बिहार राज्य सूचना आयोग के अधिनियम (सूचना का अधिकार), 2005 के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय ने आर०टी०आई० से संबंधित मामलों के अविलम्ब निष्पादनार्थ निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर मनोनीत/नियुक्त करने हेतु कृपापूर्ण स्वीकृति प्रदान की है :-

- |  |  |
|--|--|
| 1. कुलसचिव                                 | - प्रथम अपीलीय प्राधिकार पदाधिकारी                 |
| 2. प्रशाखा पदाधिकारी<br>( आर०टी०आई० विभाग) | - सहायक लोक सूचना पदाधिकारी-सह-लोक सूचना पदाधिकारी |

साथ ही साथ यह भी निर्देशित है कि विश्वविद्यालय कार्यालय में आर०टी०आई० से संबंधित मामले में सहायक लोक सूचना पदाधिकारी -सह-लोक सूचना पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य पदाधिकारी को आवेदन समर्पित किया जाता है तो संबंधित आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा ।

*नीलेश*  
27.4.17  
कुलसचिव

ज्ञापांक 5/15083-193 दिनांक 27-04-2017

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षा, सभी स्नातकोत्तर विभाग,
2. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रभारी प्राध्यापक, सभी अंगीभूत/सम्बद्ध महाविद्यालय,
3. सभी परिनियमित एवं अपरिनियमित पदाधिकारी,
4. पी०आर०ओ०
5. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक,
6. श्री साकेत विनायक, बॉयोइन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर को इस निर्देश के साथ कि आमजनों एवं छात्रों के निहितार्थ इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दें।
7. कार्यालय आदेशरक्षक, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

*नीलेश*  
27.4.17  
कुलसचिव

*GumGum*  
22/04/2017